न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, सत्र खण्ड दमोह (म.प्र.)

(समक्ष :: अनुराधा शुक्ला)

MJCR 522/2020
Filing No.-4132/2020
CNR-MP3401-004740-2020
Filing Date-02-12-2020

1. चंदू उर्फ कौशलेंद्र वल्द रब्बी सिंह परिहार (ठाकुर)
   निवासी–ग्राम हिनौता, थाना दमोह देहात, जिला दमोह
2. संदीप तोमर वल्द समुद्र सिंह तोमर, उम्र 27 वर्ष
   निवासी– ग्राम हथनी, थाना नोहटा जिला दमोह
3. आकाश सिंह वल्द आजाद सिंह परिहार, उम्र 22 वर्ष
   निवासी– ग्राम हिनौता, थाना दमोह देहात, जिला दमोह
4. भान सिंह, उम्र 24 वर्ष, पिता अरवल सिंह परिहार
   निवासी– ग्राम हिनौता, थाना दमोह देहात, जिला दमोह (म.प्र.)

.....**आवेदकगण**

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
   द्वारा – श्रीमान् कलेक्टर महोदय, दमोह (म.प्र.)
2. महेश चौरसिया पिता नर्मदा चौरसिया, उम्र 61 वर्ष
   निवासी–आजाद वार्ड हटा, जिला दमोह (म.प्र.)
3. लोकेश पटैल पिता कडोरी पटैल, उम्र 32 वर्ष
   निवासी–ग्राम तारावली पोस्ट पथरिया, जिला दमोह (म.प्र.)
4. इन्द्रपाल पटैल पिता शिवचरण बड्डा पटैल, उम्र 29 वर्ष
   निवासी– गांधी वार्ड हटा, जिला दमोह (म.प्र.)
5. अमजद पिता अबरार पठान, उम्र 39 वर्ष
   निवासी– कमला नेहरू वार्ड हटा, जिला दमोह (म.प्र.)
6. श्रीराम शर्मा पिता जमना शर्मा, उम्र 50 वर्ष
   निवासी– ग्राम जमुनिया जिला दमोह (म.प्र.)
7. राजेन्द्र उर्फ राजा डॉन पिता श्याम सुन्दर अहिरवार उम्र 28 वर्ष
   निवासी– ग्राम बांसातारखेड़ा थाना दमोह देहात, जिला दमोह (म.प्र.)
8. अनिश खान पिता गुड्डू खान, उम्र 22 वर्ष
   निवासी– आजाद वार्ड हटा, जिला दमोह (म.प्र.)
9. मोनू तंतवाय पिता कमलेश तंतवाय, उम्र 20 वर्ष
   निवासी– मुराली मोहल्ला, हटा, जिला दमोह (म.प्र.)
10. अनीस खान पिता अजिम खान, उम्र 23 वर्ष

निवासी– नवोदय वार्ड हटा, जिला दमोह (म.प्र.)

11. विकास पटैल पिता बाला प्रसाद पटैल, उम्र 34 वर्ष
निवासी– झांसी (उ.प्र.)

12. सोहिल खान पिता मो. हनीफ खान उर्फ हन्नू पठान, उम्र 25 वर्ष
निवासी– नवोदय वार्ड हटा, जिला दमोह (म.प्र.)

13. शाहरूख खान पिता अब्दुल रसीद खान, उम्र 24 वर्ष
निवासी–कमला नेहरू वार्ड हटा, जिला दमोह (म.प्र.)

14. खूबचंद पटैल नन्ना पिता भगवानदास पटैल, उम्र 27 वर्ष
निवासी– ग्राम धनगौर, दमोह देहात, जिला दमोह (म.प्र.)

15. विक्रम सिंह पिता श्री मेहरबीन सिंह, उम्र 21 वर्ष
निवासी– ग्राम सिहोरा, जिला दमोह (म.प्र.)

16. सुकेन्द्र अठ्या पिता रामलाल अठ्या, उम्र 23 वर्ष
निवासी– ग्राम सिहोरा, थाना दमोह देहात, जिला दमोह (म.प्र.)

17. रत्नेश पटैल पिता खिलान पटैल, उम्र 29 वर्ष
निवासी– ग्राम अदनवारा, थाना गैसाबाद, जिला दमोह (म.प्र.)

..... **अनावेदकगण**

———————————————————————————————————

आवेदकगण द्वारा – श्री सुरेश खत्री अधिवक्ता।
अनावेदक क्र.1 द्वारा – श्री बी.एम. शर्मा, डी.पी.ओ.।
अनावेदक क्र.2 द्वारा – श्री मनीष नगाइच अधिवक्ता।
शेष अनावेदकगण द्वारा कोई उपस्थित नहीं।

–आदेश–
(आज दिनांक 21.01.2021 को पारित।)

01. इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से धारा 409 द.प्र.सं. के अंतर्गत दिनांक 02.12.2020 को प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हटा के न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 राज्य विरूद्ध राजा डॉन को अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया है।

02. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 में पीठासीन अधिकारी द्वारा विचारण की कार्यवाही को प्रभावित किया जा रहा है। वे साक्षी महेश चौरसिया के कथनों में जो बातें अभियोजन के समर्थनकारी नहीं होती वहां न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित कर साक्षी को सिखाया पढ़ाया जाता है और फिर कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। न्यायालय द्वारा आवेदन दिये जाने के बावजूद आवेदकगण को प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान नहीं कर रहा तथा फरियादी के पक्ष का पूर्ण समर्थन करते हुए कार्यवाही का संचालन कर रहा है। दिनांक 26.11.2020 को उक्त न्यायालय ने अभियोजन की सहायता के लिए 4–5 अधिवक्तागण को न्यायालय कक्ष में अनुमति दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्तागण को

न्यायालय कक्ष से बाहर रखा गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 10.11.2020 को फरियादी से यह तक कहा गया कि तुम डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं। साक्ष्य के दौरान फरियादी महेश चौरसिया ने जब आरोपी चन्दू उर्फ कौशलेन्द्र की पहचान गलत की तो पीठासीन अधिकारी ने आधे घण्टे तक उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया और फिर सुनवायी अगले दिन के लिए रोक दी इसी प्रकार एक अन्य अभियुक्त की पहचान गलत होने पर पीठासीन अधिकारी ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाकर सुनवायी रोक दी। साक्ष्य लेखन के दौरान विशेष लोक अभियोजक व फरियादी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्तागण इस तरह एक दूसरे को सुझाव देते रहे कि फरियादी उसी की बात सुनते रहे और जबाव दे। आवेदक द्वारा इस विषय पर आपत्ति करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया जाता। साक्षी के कथन के दौरान आरोपी इन्द्रपाल सिंह की पहचान की कार्यवाही के बीच ही न्यायालय ने वी.सी. में आयी तकनीकी खराबी को ठीक करने की बात कहते हुए एक न्यायालयीन कर्मचारी को जिला जेल दमोह भेज दिया और इस दौरान अभियोजन व फरियादी पक्ष के अधिव क्तागण द्वारा इस तरह से इशारे किये गये साक्षी अभियुक्त की पहचान स्पष्ट रूप से कर सके। श्री आर.पी. सोनकर बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी आवेदन पत्रों को दोनो पक्षों को सुने बगैर निरस्त कर रहे हैं और अभियोजन पक्ष का पूर्ण रूपेण समर्थन कर रहे हैं। साक्षी महेश ने जब साक्ष्य के दौरान तीन अभियुक्तगण की सही पहचान नहीं की तो पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही स्थगित कर दी और अभियुक्त को जेल से न्यायालय में पहचान की कार्यवाही हेतु भौतिक रूप से उपस्थित रखने के लिए बुलाया साथ ही उनकी फोटो भी बुलवायी जो वायरल हो जाने से फरियादी द्वारा अभियुक्तगण की पहचान स्पष्ट रूप से कर दी गयी। बचाव पक्ष को यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी श्री प्रदीप खटीक पीठासीन अधिकारी के सगे संबंधी है तथा विचारण से पहले श्री प्रदीप खटीक व फरियादी के भाई संजय चौरसिया पीठासीन अधिकारी के आवास पर देखा गया है, जिस कारण आवेदकगण को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थना की गयी कि प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाये। आवेदन का अनावेदक क्र.1 राज्य व अनावेदक क्र.2 महेश चौरसिया, जो कि सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 का फरियादी है, की ओर से गंभीर विरोध किया गया।

03. आवेदन के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उद्भूत होता है–

> क्या सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 में संचालित की जा रही कार्यवाही के आलोक में प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने योग्य है ?

04. प्रकरण में उभयपक्ष के तर्क सुने गये। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत लिखित दस्तावेजों, सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 एवं श्री आर.पी. सोनकर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हटा द्वारा अन्य प्रकरण एमजेसी. आर. 514/2020 गोलू विरूद्ध राज्य अंतर्गत धारा 409 द.प्र.स. में प्रस्तुत टीप का परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष के सकारण आधार

05. आवेदकगण ने इस प्रकरण में सत्र प्रकरण क्र. 30/2019 में संचालित की जा रही न्यायिक कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी महोदय श्री आर.पी. सोनकर द्व ारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किये जाने के आक्षेप लगाते हुए प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने का निवेदन किया गया है। जिन आधारों पर यह प्रार्थना की जा रही है, उन पर आगे की कंडिकाओं में बिन्दुवार विचार किया जा रहा है।

06. आवेदकगण ने प्रकरण के अंतरण का प्रथम आधार यह लिया है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा यह पाने कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की जा रही साक्ष्य अभियोजन के समर्थनकारी नहीं है, बार–बार न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है तथा साक्षी को सिखाया पढ़ाया जाता है और फिर कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। आवेदकगण ने इस संबंध में दिनांक 26.11.2020 से दिनांक 28.11.2020 तक की आदेश पत्रिकाएं एवं साक्षी महेश चौरसिया के लेखबद्ध कथनों की प्रमाणित प्रतियां पेश की हैं। उक्त दस्तावेज यह दर्शाते हैं कि दिनांक 26.11.2020 को वी.सी. के माध्यम से एवं दिनांक 28.11.2020 को भौतिक उपस्थिति द्वारा प्रकरण में साक्ष्य लेखबद्ध की गयी। दिनांक 27.11.2020 को वी.सी. के माध्यम से साक्ष्य लेखबद्ध करने का प्रयास किया गया किन्तु समय 12:50 बजे अभियुक्तगण द्वारा ये कहे जाने पर कि उन्हें जेल में आवाज नहीं आ रही है तथा पुनः 01:55 बजे जिला जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग की गुणवत्तापूर्ण कनेक्टिविटी न मिल पाने के कारण उक्त दिनांक को कोई साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गयी। दिनांक 26.11.2020 को ही समय 12:15 बजे वी.सी. से साक्ष्य प्रारंभ की गयी किन्तु 12:20 बजे विद्युत विच्छेदित हो जाने के कारण तथा 03:20 बजे पुनः विद्युत आपूर्ति चालू होने पर उक्त अवधि में कोई साक्ष्य अंकित नहीं की गयी, समय 03:20 बजे से यद्यपि साक्ष्य प्रारंभ की गयी किन्तु नेटवर्क की कनेक्टिविटी गुणवत्तापूर्ण नहीं थी। स्पष्ट है कि दिनांक 26.11.2020 को ही वी.सी. के माध्यम से साक्ष्य अंकित हुई तथा यदि 26.11.2020 को उक्त कनेक्टिविटी खराब होने के कारण केवल कुछ समय के लिए साक्ष्य लेखबद्ध की जा सकी तो दिनांक 27.11. 2020 को स्वयं अभियुक्तगण द्वारा खराब कनेक्टिविटी का आधार लिये जाने के कारण वी.सी. से उस दिनांक को कोई कथन अंकित नहीं हुए। वीडियो कांफ्रेंसिग की सुविधा गुणवत्तापूर्ण न होने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा यदि निरंतरता में साक्ष्य अंकित नहीं की जा सकी तो उन पर यह आक्षेप नहीं लगाया जा सकता कि अभियोजन के पक्ष की समर्थनकारी बातें न आने के कारण वे साक्ष्य स्थगित कर रहे थे। स्वयं अभियुक्तगण भी वी.सी. की गुणवत्ता को प्रश्नांकित कर रहे थे तथा पीठासीन अधिकारी ने उनकी आपत्ति को मान्य किया, जिस कारण उनकी निष्पक्षता को यहां दी जा रही चुनौती निराधार है।

07. पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा सत्यापित प्रतियां प्रदान न किये जाने बाबत आवेदन में लगाया जा रहा आक्षेप किसी दस्तावेज से समर्थित नहीं है। आवेदकगण ने यदि दिनांक 01.12.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया तो उन्हें 03.12.2020 को नकलें मिल गयी और यदि उन्होंने 27.11.20 को आवेदन दिया तो उन्हें 01.12.20

को नकलें मिल गयी।

08. न्यायालय कक्ष में फरियादी पक्ष की ओर से 4–5 अधिवक्तागण के मौजूद रहने के संबंध में भी आवेदन में आपत्ति ली गयी है। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.11.2020 को समय 03:30 बजे लिखी गयी आदेश पत्रिका में बचाव पक्ष अधिवक्ता की उक्त आपत्ति का तथा न्यायालय द्वारा फरियादी की ओर से केवल एक अधिवक्ता को न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहने की अनुमति देने का स्पष्ट उल्लेख है। न्यायालय का ध्यान जैसे ही इस ओर दिलाया गया कि फरियादी पक्ष की तरफ से एक से अधिक अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में मौजूद हैं पीठासीन अधिकारी ने तत्काल इस संबंध में आदेश पारित करते हुए बचाव पक्ष की आपत्ति को मान्य किया। अतएव पीठासीन अधिकारी का अभियोजन पक्ष की ओर का कोई झुकाव उनके इस आचरण से इंगित नहीं होता।

09. आवेदन में यह भी उल्लेख है कि अभियुक्त चंदू की फरियादी द्वारा गलत पहचान करने पर पीठासीन अधिकारी ने इस कमी को दूर करने का आधे घण्टे तक प्रयास किया। इस संबंध में साक्षी के कथन की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर पेश है, जिसमें यह अभिलिखित है कि जिस अभियुक्त को साक्षी ने चंदू उर्फ कौशलेन्द्र के रूप में पहचाना उसका नाम संदीप था तथा इसी नाम का टैटू भी उसने दिखाया था। साक्षी द्वारा की गयी पहचान की इस कार्यवाही के बाद स्वयं बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा उठायी गयी आपत्ति का निदान करने के लिए साक्षी के कथन अंतरिम रूप से स्थगित किये गये एवं तदोपरांत समय 04:10 पी.एम. होने व अन्य न्यायिक कार्य लंबित होने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा साक्ष्य स्थगित की गयी। स्पष्ट है कि यदि साक्षी द्वारा अभियुक्त की गलत नाम से पहचान की गयी तो पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया कोई हस्तक्षेप अभिलेख से दर्शित नहीं होता तथा यदि ऐसा कोई हस्तक्षेप वास्तव में रहा होता तो साक्षी द्वारा अभियुक्त की गलत पहचान की ही क्यों जाती। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब भौतिक रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरांत न्यायालय में दिनांक 28.11.2020 को साक्ष्य अंकित हुई तो अभियोजन के निवेदन के बावजूद पीठासीन अधिकारी ने अभियोजन को मुख्य परीक्षण के दौरान आरोपी चंदू उर्फ कौशलेन्द्र की साक्षी से पुनः पहचान की अनुमति नहीं दी। अतएव आरोपीगण की पहचान के बिन्दु पर पीठासीन अधिकारी पर साक्ष्य में हस्तक्षेप के लगाये गये आक्षेप पूर्णतः निराधार हैं।

10. आवेदन में यह लेख है कि अभियोजन पक्ष व फरियादी के अधिवक्तागण जोर से इस तरह से सुझाव देते थे कि साक्षी सुन ले तथा पीठासीन अधिकारी बचाव पक्ष अधिवक्तागण द्वारा आपत्ति करने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं देते थे। यह उल्लेखनीय है कि फरियादी से बचाव पक्ष ने इस तरह का क्यों सवाल नहीं पूछा कि वह स्वयं घटना के बारे में कोई जानकारी न रखते हुए न्यायालय कक्ष में मौजूद लोक अभियोजक व अपने अधिवक्तागण के द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर उत्तर दे रहा था।

11. आवेदकगण की आपत्ति है कि अभियुक्त इन्द्रपाल की पहचान भी साक्षी नहीं कर पा रहा था तथा लोक अभियोजक व अपने अधिवक्तागण द्वारा किये गये इशारों के आधार पर साक्षी ने वी.सी. में इन्द्रपाल की पहचान की थी। यह उल्लेखनीय है कि साक्षी ने उक्त आरोपी का नाम लेकर व उसे शक्ल से जानने की बात कहकर उसे पहचाना था तथा साक्षी को प्रश्न पूछे जाते समय ऐसा कोई सुझाव दिया जाना प्रकट नहीं होता कि जिस व्यक्ति को वह पहचान रहा है उसका नाम इन्द्रपाल है। स्पष्ट है कि मात्र इशारे के आधार पर साक्षी आरोपी का सही नाम स्वयं बताये जाने का कथन नहीं दे सकता था।

12. आवेदकगण के अनुसार पीठासीन अधिकारी बचाव पक्ष के आवेदन पत्रों को दोनों पक्षों को सुने बिना निरस्त कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि जिन आदेश पत्रिकाओं पर आवेदकगण ने विश्वास किया है उनमें केवल दिनांक 25.11.2020 के फरियादी के एक आवेदन को बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्री डी.पी.पटैल को सुने बिना निराकृत किये जाने का उल्लेख मिलता है। अतएव जिस आवेदन पर बचाव पक्ष को नहीं सुना गया वह आवेदन फरियादी ने दिया था न कि बचाव पक्ष ने तथा फरियादी द्वारा दिया गया उक्त आवेदन दिनांक 26.11.20 की आदेश पत्रिकानुसार पीठासीन अधिकारी ने निरस्त किया था। अतएव बचाव पक्ष को सुने बिना उसके विरूद्ध आदेश पारित किये जाने का कोई प्रसंग प्रस्तुत अभिलेख में मौजूद नहीं है।

13. आवेदकगण के अनुसार फरियादी द्वारा सही से पहचान न किये जाने पर आरोपीगण को जेल से न्यायालय कक्ष में बुलाकर पहचान की कार्यवाही की गयी तथा उक्त कार्यवाही से पहले अभियुक्त की फोटो मोबाइल पर वायरल कर दी गयी। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.11.2020 को न्यायालय कक्ष में हुई साक्ष्य लेखन की कार्यवाही स्वयं बचाव पक्ष के इस निवेदन पर की गयी कि जेल में वी.सी. के माध्यम से आवाज सुनायी नहीं दे रही। यदि भौतिक उपस्थिति में साक्षी द्वारा आरोपीगण की पहचान की कार्यवाही की गयी तो इसके लिए पीठासीन अधिकारी को निष्पक्षता को आक्षेपित नहीं किया जा सकता।

14. आवेदकगण ने पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता पर यह भी गंभीर आरोप लगाये हैं कि वे प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी के सगे संबंधी हैं तथा उक्त साक्षी के साथ फरियादी के भाई को पीठासीन अधिकारी के घर पर देखा गया। यह उल्लेखनीय है कि फरियादी पक्ष को पीठासीन अधिकारी के घर पर देखे जाने के इस घटनाक्रम की न तो कोई दिनांक बतायी गयी है न ही कोई समय तथा यह भी प्रकट नहीं किया गया है कि बचाव पक्ष को किस स्त्रोत से उक्त जानकारी प्राप्त हुई। हत्या के प्रकरण में विचारण की कार्यवाही का संचालन करने वाले पीठासीन अधिकारी के उपर बिना किसी आधार के लगाये गये ये आक्षेप अत्यंत क्षोभकारी व मानहानिकारक प्रकृति के हैं तथा बिना किसी तत्व के इस प्रकृति के लगाये जाने वाले आक्षेपों का उपचार विधि में प्रावधानित हैं।

15. अब तक की गई संपूर्ण विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत

आवेदन निराधार पाते हुए रूपये 2000/– के परिव्यय सहित निरस्त किया जाता है। यह परिव्यय राशि अनावेदक क्र.2 महेश चौरसिया पिता नर्मदा चौरसिया को देय होगी।

16. आदेश की प्रति संबंधित सत्र न्यायालय को प्रेषित की जावे।

दमोह, दिनांक 21.01.2021

सही/–
(अनुराधा शुक्ला)
सत्र न्यायाधीश, दमोह

गिरजेश

GIRJESH CHOURASIA
Digitally signed by GIRJESH CHOURASIA
Date: 2021.01.22 11:49:10 +0530